

न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 42/2021-22

आदेश की क्र०सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी												
1 14/9/21	आवेदक/आवेदिका फुलमनी देवी, पति स्व० कृपा राम, जाति-घांसी ,ग्राम+ पोस्ट+थाना पालकोट, जिला- गुमला (झारखण्ड) ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)B के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया। भूमि का विवरणी <table><tr><th>राजस्व ग्राम</th><th>थाना संख्या</th><th>संख्या खाता</th><th>प्लॉट संख्या</th><th>रकबा (एकड़)</th><th>किस्म जमीन</th></tr><tr><td>पालकोट</td><td>63</td><td>753</td><td>2264</td><td>1.52 एकड़ में से 0.12 एकड़</td><td></td></tr></table> कुल 0.12(बारह डिसमील) चौहद्दी प्लॉट सं० 2264 :- उत्तर में – टांड जितु बैठा, दक्षिण में – टांड शिवा प्रधान पूरब में –पक्की सड़क, पश्चिम में – टांड नीज बिक्रेता। जमीन विक्रेता की विवरणी आवेदक – आवेदक फुलमनी देवी, पति स्व० कृपा राम, जाति- घांसी ,ग्राम+ पोस्ट+थाना पालकोट, जिला- गुमला जमीन क्रेता की विवरणी क्रेता – राजेन्द्र प्रधान पिता स्व० श्रवण प्रधान जाति भोगता, ग्राम नाथपुर बडकी टोली, पोस्ट नाथपुर, थाना- पालाकोट, जिला- गुमला। आवेदक उक्त भूमि को प्रस्तावित क्रेता राजेन्द्र प्रधान पिता स्व० श्रवण प्रधान जाति भोगता, ग्राम नाथपुर बडकी टोली, पोस्ट नाथपुर, थाना- पालाकोट जिला- गुमला को मकान बनाने/इलाज हेतु/हल बैल खरीदगी हेतु रुपये 1,50,000 (एक लाख पचास हजार)रु० की आवश्यकता पड़ने पर भूमि की बिक्री कर रहे हैं। अंचलाधिकारी, पालकोट को आवेदन भेजते हुए	राजस्व ग्राम	थाना संख्या	संख्या खाता	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)	किस्म जमीन	पालकोट	63	753	2264	1.52 एकड़ में से 0.12 एकड़		
राजस्व ग्राम	थाना संख्या	संख्या खाता	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)	किस्म जमीन									
पालकोट	63	753	2264	1.52 एकड़ में से 0.12 एकड़										

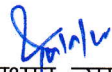


जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईशतेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, पालकोट के कार्यालय के पत्रांक:-484/रा0 दिनांक:- 08/09/2021 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदिका को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। निर्धारित तिथि तक किसी प्रकार का कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी जमीन है एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूमि बन्दोबस्ती, भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जाति समुदाय के अन्तर्गत दोनो घांसी एवं भोगता जाति के हैं, दोनो एक ही थाना एवं जिला के निवासी हैं।

अतः अंचल अधिकारी, पालकोट के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर उपरोक्त विवरण की भूमि को आवेदिका फुलमनी देवी, पति स्व० कृपा राम, जाति- घांसी, ग्राम+ पोस्ट+थाना पालकोट, जिला- गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि अथवा जिला निबंधन कार्यालय, गुमला के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)B के अन्तर्गत एतत् द्वारा प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।




भूमि सुधार उप -समाहर्ता
बसिया (गुमला)


भूमि सुधार उप -समाहर्ता
बसिया (गुमला)